उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 18/एन0बी0/एस0बी0/2023

कान्स 490 ना0पु0 विनोद खाती, आयु 41 वर्ष, पुत्र श्री हीरा सिंह खाती, स्थाई निवासी ग्राम लूटाबड़ थाना व तहसील व पो0आ0 रामनगर जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

.....याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन सचिवालय, देहरादून।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर (रूदपुर)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्री नदीम उद्दीन एवं आसिफ अली, याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण।
श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उत्तरदातागण।

निर्णय

दिनांक अक्टूबर 03, 2023

प्रस्तुत याचिका विपक्षी सं0 03 द्वारा याचीकर्ता के विरूद्ध पारित परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 22.10.2021 एवं विपक्षी सं0 03 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध याचिकर्ता द्वारा दायर अपील दिनांक 13.12.2021 में विपक्षी सं0 02 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 14.12.2022 को अपास्त (quash) एवं अवैध व शून्य घोषित कर विपक्षीगण को निर्देशित किया जाय कि याचीकर्ता को दिये गये दण्ड को उसकी चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से विलुप्त करें।

2. याचिका के निस्तारण के लिए संक्षेप में आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि याची जब वर्ष, 2020 में कान्स० चौकी पतरामपुर, थाना जसपुर में नियुक्त था, तो दिनांक 07.09.2020 को चौकी पतरामपुर डाम नं0–1 पतरामपुर, थाना जसपुर क्षेत्रान्तर्गत गुरदीप सिंह पुत्र श्री बूढ़ सिंह के घर जंगली जानवर का मांस होने की सूचना मिलने पर याची

द्वारा अपने कर्तव्यों का पूर्ण ईमानदारी व कर्मठता से पालन करते हुये उसके घर दबिश दी गयी परन्तु कोई वस्तु बरामद न होने पर इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारी को दी गयी।

3. उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक जांच सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, काशीपुर को सौंपी गयी। सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, काशीपुर ने अपनी प्रारम्भिक जांच आख्या पी०ई० 16/2020 दि0 04 मई, 2021 में बिना स्वतंत्र साक्ष्यों तथा याची के पक्ष को विचार में लिये, बिना स्वतंत्र गवाहों तथा साक्ष्यों के याची द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही न करते हुए गुरदीप सिंह से उत्कोच प्राप्त कर गुरदीप सिंह को छोड़ने का दोषी होने का निष्कर्ष दे दिया। इस जांच आख्या के संलग्नकों, दस्तावेजी साक्ष्यों व बयानों की प्रतियों के बिना जांच आख्या के 8 पृष्ठों की फोटोप्रति याची को प्राप्त करायी गयी। सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, काशीपुर की उक्त जांच आख्या को आधार बनाते हुये इसके निष्कर्षो के भी विपरीत जाकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता, शिथिलता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक कार्य करने का आरोप लगाते हुये विपक्षी सं0 3 ने कारण बताओं नोटिस संख्या न–212/2020 दिनांक 27.07.2021 याची की वर्ष, 2021 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का उल्लेख करते हुये दिया। उक्त नोटिस के साथ पूर्ण जांच आख्या के स्थान पर जांच आख्या के संलग्नकों, दस्तावेजी साक्ष्यों व बयानों की प्रतियों के बिना जांच आख्या के 8 पृष्ठों की फोटोप्रति याची को प्राप्त करायी गयी। याची द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रेषित करते हुए उस पर लगाये गये आरोपो को गलत व निराधार होने को स्पष्ट करते हुये नोटिस निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। विपक्षी सं0 3 ने याची के स्पष्टीकरण तथा उसमें दिये गये तर्कों को न मानने का कोई स्पष्ट आधार दिये बगैर ही वर्ष, 2021 में चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित करने का आदेश नं0 212/2020 दिनांक 22.10.2021 पारित कर दिया।

4. विपक्षी सं0 2 द्वारा अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अवैध रूप से याची द्वारा की गयी अपील को अपील आदेश पत्रांक सीओके अपील– 53/2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2022 से निरस्त कर दिया गया। उक्त अपील आदेश याचिकाकर्ता को 23.12.2022 को प्राप्त कराया गया। अलोच्य आदेश का प्रमुख तथ्यात्मक बिन्दु ''दबिश व चौकी लाने की सूचना रोजनामचा आम में दर्ज न करना तथा उत्कोच प्राप्त कर गुरदीप सिंह को छोड़ना'' दर्शाया गया है जबकि इसमें तथ्यों को घुमा फिराकर अपूर्ण व भ्रामक रूप में लिखित किया गया है। याची ने पूर्ण कर्मठता व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और कोई अवैध कार्य नहीं किया है। याची के

विरूद्ध दण्डादेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है। याची को कारण बताओ नोटिस केवल औपचारिकता पूरी करने के लिये दिया है। इसी लिये न तो नोटिस के साथ प्रारम्भिक जांच आख्या की पूर्ण प्रतिलिपि प्राप्त करायी गयी है और न ही नोटिस में इसके व प्रारम्भिक जांच आख्या के निष्कर्षो को मानने के कारण ही सूचित किये गये हैं। दण्डादेश देने से पूर्व याची द्वारा कारण बताओं नोटिस के उत्तर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया है। याची के उत्तर में उल्लेखित तथ्यों को न मानने का कोई वैध व स्पष्ट आधार भी नहीं लिखा गया है। इस आधार पर भी उक्त दण्डादेश विधिविरुद्ध है व निरस्त होने योग्य है। याची के विरुद्ध कोई आरोप साबित नहीं किया गया है बल्कि उसके विरूद्ध अपने कर्तव्य/डयूटी के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता, शिथिलता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक कार्य करने की उपधाराणा (presumption) करके दण्डादेश हेतु नोटिस दिया गया है। नोटिस देने के उपरान्त बिना किसी स्पष्ट आधार के गुरदीप सिंह को छोड़ने और इसके लिये उससे कोई उत्कोच प्राप्त करने और जी०डी० में व चौकी लाने की सूचना रोजनामचा आम में दर्ज न करने का आरोप लगाते हुये पारित कर दिया गया है जो नहीं किया जा सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न केसों में अभिनिर्धारित व पृष्ठ विधिक सिद्धांत के अनुसार किसी भी दण्ड देने की कार्यवाही में साबित करने का भार आरोप लगाने वाले पर है तथा मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किया जाना चाहिये। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न केसों में अभिनिर्धारित व पुष्ठ उक्त विधिक सिद्धांत के आधार पर भी उक्त दण्डादेश विधिविरूद्ध है व निरस्त होने योग्य है।

5. जबकि उत्तरदाता/ विपक्षीगण की ओर से याचीकर्ता के उपरोक्त कथनों के खण्डन में प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए संक्षेप में खण्डन किया है कि याची जब 2020 में चौकी पतरामपुर थाना जसपुर में नियुक्त था तो दिनांक 07.09.2020 को चौकी पतरामपुर थाना जसपुर क्षेत्रान्तर्गत गुरदीप सिंह पुत्र बूढ़सिंह निवासी भगतपुर डाम–01 पतरामपुर के घर जंगली जानवर का मांस होने की सूचना मिलने पर इनके द्वारा दविश दी गयी परन्तु कोई वस्तु बरमाद न होने पर सूचना रोजनामचा आम में दर्ज नही की गयी जिससे याची की कार्यप्रणाली में सदिग्धता प्रतीत हुई। गुरदीप सिंह के घर 3–4 किलो जंगली जानवार का मांस बरामद कर बरामदशुदा मांस व गुरदीप सिंह को चौकी लाने पर कोई वैधानिक कार्यवाही न करते हुए गुरदीप सिंह से उत्कोच प्राप्त कर गुरदीप सिंह को छोड़ने का दोषी पाया गया जो याची के कर्तव्य के प्रति धोर लापरवाही थी। प्रकरण की प्रारम्भिक जांच सहायक पुलिस/अधीक्षक काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर द्वारा सम्पादित की जिसकी जांच संख्या–16/2020 दिनांक 04.05.2021 उपलब्ध करायी गयी। पतरामपुर क्षेत्र कार्बेट रिजर्व जोन/ वन रेंज से लगा हुआ है क्षेत्र के लोगो द्वारा जंगल में

फंदा आदि लगाकर वन्य जीवों का शिकार करने संबंधी बाते प्रकाश में आती रहती हैं। दिनांक 19.09.2020 को सोशल मीडिया में पतरामपुर चौकी के कर्मियों द्वारा भोगपुर डाम निवासी गुरदीप सिंह के द्वारा चीतल के मांस के साथ चौकी लाने व 20 हजार रू0 लेकर उक्त व्यक्ति को छोड़ने संबंधी मैसेज वायरल होने पर प्रभारी निरीक्षक जसपुर श्री एन0बी0 भट्ट एवं तत्कालीन क्षेत्राधिकारी काशीपुर द्वारा कानि 387 ना0पु0 जगदेव, कानि0 879 ना0पु0 दीवान सिंह एवं कानि0 490 विनोद खाती को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह द्वारा निलम्बित कर दिया तीनों कानि0 द्वारा दिनांक 07.09.2020 को गुरदीप सिंह पुत्र बुढ़सिह निवासी भागपुर डाम नं0–01 के घर जंगली जानवर का मांस होने की सूचना मिलने पर दविश दी किन्तु कोई वस्तु बरामद न होने की सूचना रोजनामचा आम में दर्ज नही करायी गयी है जिससे तीनों कानि0 की कार्यप्रणाली सन्दिग्ध प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त गुरदीप सिंह द्वारा अपने बयानों में लगभग 3 किलो चीतल का मांस बरामद कर मांस सहित चौकी पर पकड़ ले जाना एवं जगदेव सिंह द्वारा पहले उसे छोड़ने के एवज में 50 हजार रूपये की मांग करना और बीस हजार में बात तय होने पर 09 हजार रूपये घर से कानि0 जगदेव को देना व 2–3 दिन बाद शेष रू0 कनि0 जगदेव के साथ (जिसका नाम पता नहीं) को देना बताया। मांस सहित गुरदीप को चौकी लाना व गुरदीप व कोई वैधानिक कार्यवाही न करते हुए उत्कोच प्राप्त कर छोडने का दोषी पाया। उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि0/कर्म0 की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14(2) की विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम –2007 की धारा 23 (16) व 23 (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार याची को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

6. याची को प्रतिवादी संख्या तीन द्वारा 27.07.2021 को परिनिन्दा लेख प्रदान किये जाने विषयक कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी प्रति याची द्वारा मय जांच आख्या 09.08.2021 को प्राप्त की गयी। याची द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 19.08. 2021 को प्रतिवादी कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। याची द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के प्रस्तरों में मुख्यतः अंकित किया गया कि प्रकरण में दिया गया नोटिस विधि विरूद्ध निराधार एवं गलत तथ्यों पर आधारित है इसलिए उसको निरस्त किया जाय। याचिकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों /तर्को के सम्बंध में संबंधित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं स्पष्टीकरण का गहनता एवं गम्भीरता से अध्ययन करने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 3 द्वारा याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कोई बल नही पाया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर सम्यक विचारोपरान्त स्पष्टीकण अस्वीकार किया गया एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एंव प्रकरण की गहन सन्निरीक्षा के उपरान्त उत्तराखण्ड [उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि0/ कर्म0 की (दण्ड एंव अपील) नियमावली –1991] अनुकूलन एवं उपरान्तरण

आदेश– 2002 के नियम –14 (2) की विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 में निहित प्राविधानों के अनुसार याची को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया। याचीकर्ता के द्वारा योजित की गयी वर्तमान याचिका असत्य एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, जिस कारण उक्त याचिका खारिज होने योग्य है। अतः मा0 न्यायाधिकरण से अनुरोध है, कि उक्त याचिका को शासन/विभाग के पक्ष में खारिज /निरस्त होने योग्य है।

7. याची द्वारा प्रत्युत्तर शपथ (Rejoinder Affidavit) पत्र दाखिल करते हुए लिखित कथन में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए निर्देश याचिका में उल्लिखित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है।

8. मैंने याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदातागण की ओर से सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

9. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि याचीकर्ता को उत्तरदाता सं0 3 व 2 के द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी काशीपुर के द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर दण्डित किया गया है जबकि जांच अधिकारी द्वारा सभी पुलिस के गवाहन के बयानात को नजर अन्दाज करते हुए श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री चूढ़सिंह सिंह निवासी भोगपुर डाम–1 पतरामपुर थाना जसपुर जिला उधमसिंह नगर, जिसके विरूद्ध चौकी पतरामपुर में कान्सटेबिल 387 ना0पु0 जगदेव सिंह को दिनांक 07.09.2020 को 12.00–12.30 के मध्य अज्ञात टेलीफोन आने पर श्री गुरदीप सिंह के घर पर जंगली मांस रखे होने की सूचना दी गयी और कहा कि अभी जाकर पकड़ा जा सकता है, के बयानत पर विश्वास करते हुए याचीकर्ता को पूरी तरह दुर्भावना से दण्डित किया गया है जबकि पुलिस के गवाहन द्वारा याचीकर्ता के साथ कान्सटेबिल 387 जगदेव सिंह, कान्सटेबिल दीवान सिंह, एसपीओ हनीफ के साथ गुरदीप सिंह के घर जाना कहा गया है और जिसकी पुष्टि अन्य गवाहन जगदेव सिंह, स्वयं विनोद खाती, कान्सटेबिल दीवन सिंह द्वारा भी अपने साक्ष्य में की गयी है। याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि दिनांक 07.09.2020 को कानि0 जगदेव सिंह को करीब 12–12.30 बजे के मध्य किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया व जंगली मांस होने की सूचना देना कहा गया है। ऐसे में यदि पुलिस टीम द्वारा 12–12.30 बजे के बाद दिनांक 07. 09.2020 को गुरदीप सिंह के घर की तलाशी की गयी तो चौकी से पुलिस टीम की रवानगी का इन्द्राज नकल जी0डी0 में हुआ होगा तथा वापसी चौकी आने पर भी चौकी पर नियुक्त मोहरिर्र द्वारा जी0डी0 में आमद की गयी होगी, जबकि गुरदीप सिंह द्वारा अपने बयानों में जांच अधिकारी को दिनांक 07.09.2020 की सुबह करीब 10.00 बजे अपने घर पर कान्सटेबिल विनोद खाती (याचीकर्ता) व जगदेव सिंह का गुरदीप सिंह के घर आना व चीतल के मांस के बारे में

पूछताछ करना कहा गया है जिससे दौराने जांच एवं अन्य पुलिस के गवाहन व गुरदीप सिंह के बयानत में गुरदीप सिंह के घर की तलाशी के समय में घोर विरोधाभाष है।

10. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि गुरदीप सिंह के घर की तलाशी में कोई जंगली मांस आदि अवैध वस्तु की बरामदगी नही हुई और न ही किसी गवाह द्वारा कहा गया। ऐसे में यदि गुरदीप सिंह के बयानत के आधार पर यह मान लिया जाय कि गुरदीप के घर से तीन किलो चीतल का मांस बरामद हुआ और उसे दोनों कान्सटेबिल द्वारा कहा गया कि तुझे चौकी पर दरोगा जी ने बुलाया है और गुरदीप सिंह को चौकी पर अवैध जंगली मांस के साथ चौकी पतरामपुर लाया गया होता तो उस दशा में चौकी पतरामपुर पर उपस्थित संतरी पैरा कान्सटेबिल क्लर्क एवं चौकी प्रभारी पतरामपुर आदि के द्वारा भी गुरदीप सिंह को चौकी पर लाते हुए देखा गया होता लेकिन इस संबंध में थाने में किसी भी उपरोक्त स्वत्रंत व सर्वोत्म साक्षी द्वारा गुरदीप सिंह को मय तीन किलो जंगली मांस के साथ चौकी पतरामपुर लाना नही कहा। इसके बावजूद जांच अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाई गयी अफवाह कि गुरदीप सिंह को बीस हजार रू0 लेकर छोड़ दिया, के संबंध में सोशल मीडिया में ऐसी अफवाह किसके द्वारा व कहां से फैलाई गई के बावत भी कोई जांच किये बिना एवं उक्त अफवाह की सत्यता को जाने बिना द्वेषपूर्ण रूप से संभावना के आधार पर याचीकर्ता को दोषी ठहराया गया। याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि यदि गवाह गुरदीप सिंह के द्वारा अपने कब्जे से याचीकर्ता व अन्य पुलिस कर्मचारीगण द्वारा 3 किलो मांस बरामद करने का कथन किया गया था तो उसके विरूद्ध वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराया जाना चाहिए था और यदि गुरदीप सिंह द्वारा याचीकर्ता व अन्य कान्सटेबिल जगदेव सिंह को उत्कोच देने का कथन किया गया था तो गुरदीप सिंह के विरूद्ध भष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 12 के अन्तर्गत रिश्वत देने का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया और यदि गुरदीप सिंह व पुलिस टीम द्वारा अपराध को छुपाने व सबूत मिटाने का अपराध किया गया तो ऐसी दशा में भा.द.सं. की धारा 211 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज क्यों नही किया गया? अतः यायीकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा की गयी द्वेषपर्ण जांच पर याचीकर्ता द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध दिये गये प्रतिउत्तर को उत्तरदातागण 2 व 3 द्वारा नजर अन्दाज करते हुए द्वेषपूर्ण भावना से अपने विवेक का प्रयोग किये बिना दण्डित किया गया है जिस कारण से उत्तरदाता सं0 3 द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 22.10.2021 एवं उसके विरूद्ध उत्तरदाता सं0 2 अपील प्रधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 अपास्त होने योग्य हैं तद्नुसार याचीकर्ता की चरित्र पंजिका व अन्य अभीलेखों में अंकित परिनिन्दा प्रविष्टि को विलुप्त करने का आदेश पारित किया जाय।

11. जबकि विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कहा कि उत्तरदातागण द्वारा जांच अधिकारी क्षेत्राधिकारी

काशीपुर द्वारा की गयी जांच के आधार पर याचीकार्ता को दण्डित किया गया है जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नही है। अतः याचीकर्ता की याचिका खारिज की जावे।

12. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उक्त चर्चित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 07.09.2020 को समय करीब 12.00–12.30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति का टलीफोन कान्स0 जगदेव सिंह चौकी पतरामपुर के मोबाइल पर आया कि श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री चूड़ सिंह भोगपुर चौकी पतरामपुर जसपुर के घर में जंगली जानवर का मांस है, के आधार पर याचीकर्ता, कान्सटेबिल दिवान सिंह ,कान्सटेबिल जगदेव सिंह व एक अन्य व्यक्ति एसपीओ हनीफ, गुरदीप सिंह के घर पर जाना व तलाशी लेना कहा गया तथा पुलिस टीम के गवाहन के अनुसार कोई संदीग्ध वस्तु मिलना नहीं कहा गया और उक्त दिनांक 07.09.2020 के लगभग 10–12 दिन बाद सोशल मीडिया में यह अफवाह फैलना कि मामले में गुरदीप सिंह से रूपये लिये हैं और उसे छोड़ दिया हैं के आधार पर याचीकर्ता को दण्डित करते हुए उत्तरदाता सं0 3 द्वारा याचीकर्ता की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश पारित किया गया, जबकि सोशल मीडिया में पुलिस टीम के विरूद्ध फैलाई गयी उक्त अफवाह कि गुरदीप सिंह के घर से 3–4 किलो मांस बरामद होने हेतु पुलिस टीम द्वारा वैधानिक कार्यवाही न कर उत्कोच लेकर मामला रफा–दफा किया गया, के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा कान्सटेबिल 879 दीवान सिंह, कान्सटेबिल जगदेव सिंह कान्सटेबिल विनोद खाती (याचीकर्ता) के बयानात लिये गये, जिसमें तीनों गवाहन द्वारा अपने साक्ष्य के दौरान यह अभिकथित किया गया कि '' **दिनांक 07.09.2020 को दिन में लगभग 12.00–12.30 के मध्य किसी व्यक्ति का चौकी में नियुक्त का0 387 ना0पु0 जगदेव सिंह को फोन आया कि गुरदीप सिंह पुत्र चूड़सिंह भोगपुर डाम–1 पतरामपुर जसपुर के घर जंगली मांस रखा है। अभी जाकर पकड़ा जा सकता है, जिस पर चौकी पर मौजुद कानि0 387 जगदेव सिंह व490 ना0पु0 विनोद खाती, कान्स0 दीवान सिंह, एसपीओ हनीफ के साथ गुरदीप सिंह के घर पर गये, जहां पर हमारे द्वारा उसके घर/ किचन की तलाशी ली तथा उससे जंगली मांस के बारे में पूछताछ की गयी परन्तु कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। पूछताछ के दौरान गुरदपी सिंह ने हमारे साथ बहस भी की थी। उसके बाद गुरदीप सिंह को हिदायत देकर हम लोग चौकी वापस आ गये थे। गुरदीप सिंह के बेटे बंटी पर थाना जसपुर में पूर्व से मोटर साईकिल चोरी व गैगस्टर में मुकदमें दर्ज है। जिस कारण गुरदीप पुलिस से नाराजगी रखता है। उक्त घटना के लगभग 10–12 दिन बाद पुलिस से द्वेषभावना रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा गुरदीप सिंह को हमारे विरूद्ध भड़का कर सोशल मीडिया में हमारे विरूद्ध यह अफवाह फैलाई की हमारे द्वारा उक्त मामले में गुरदीप सिंह से रूपये लिये हैं जबकि हमें गुरदीप के घर जंगली मीट नहीं मिला ओर न ही हमारे द्वारा गुरदीप को चौकी पर लाया गया तथा न ही कोई रूपये लिये गये''।**

13. उपरोक्त गवाहन के बयानात से यह स्पष्ट है कि गुरदीप सिंह के घर में कोई अवैध वस्तु की बरामदगी नहीं हुयी थी अब यदि श्री गुरदीप सिंह के बयानात पर विश्वास किया जाय जिसमें गुरदीप सिंह द्वारा जांच अधिकारी को अपने बयानों में कहा गया कि **''दिनांक 06.09.2020 को रात करीब 7–8 बजे में अपने साथियों 1.रंतीत पुत्र प्यारा, 2. कश्मीर सिंह पुत्र बन्जार सिंह, 3. बलकर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह 4. छिन्दा, मंगा सिंह पुत्र करनैल सिह के साथ मीलकर गांव के पास वाले जंगल में चीतल का शिकार के लिये गये थे हम सभी से जंगल में रस्सी का जाल बिछाकर एक चीतल पकड़ा तथा वहीं से काटकर आपस में बांट लिया था और जंगल से अगले दिन दिनांक 07.09.2020 की सुबह करीब 06 बजे अपने घर वापस आ गये। मेरे हिससे में करीब 04 किलो मांस आया था, दिनांक 07.09.2020 की सुबह करीब 10 बजे मेरे घर पर कनि0 विनोद खाती और कानि0 जयदेव सिंह घुस आये और चीतल के मांस के बारे में पूछताछ करने लगे तथा मेरे घर की छानबीन की तो इनको फ्रिज में रखा 03 किलो चीतल का मांस बरामद हो गया। दोनों कानि0 द्वारा मुझे चौकी चलने के लिये कहा और कहा कि चौकी में तुझे दरोगा जी ने बुलाया है। रंजीत के घर कुछ पुलिस वाले गये लेकिन रंजीत घर से भाग गया था और कानि0 जयदेव सिंह मुझे अपने साथ चौकी ले गये लेकिन चौकी पर दरोगा जी नहीं थे। चौकी में कानि0 दीवान सिंह भी मौजूद थे। कानि0 जयेदव सिंह द्वारा मुझे कहा गया कि हमें 50 हजार रू0 दे दो, तुम्हें छोड़ देंगें तो मैंने इतने सारे पैसे पास में नहीं होने की बात की तो कानि जयदेव सिंह ने 20.000/–रूपये में मुझे छोड़ने की बात की तो मैं रूपये देने के लिये तैयार हो गया। मेरे द्वारा रंजीत सिंह का भाई गुरमीत सिंह पुत्र प्यारा सिंह से 09 हजार रूपये मंगवाये और चौकी पर ही मौजूद कानि विनोद खाती और 02–03 अन्य सिपाहियों के समक्ष कनि0 जयदेव सिंह को दे दिये और बाकी रूपये 02–03 तीन के बाद देने की बात की तो इनके द्वारा मुझे छोड़ दिया गया चौकी से छूटने के करीब तीसरे दिन मेरे द्वारा चौकी के बाहर जाकर कानि0 जयदेव सिंह के साथ ही सिपाही को 11,000/– रूपये दे दिय थे, उस सिपाही का नाम वगैरह में नहीं जानता। महोदय में दुबारा वन्य जीव का शिकार कभी नहीं करूंगा। यदि करता हूं तो जो दण्ड हो मुझे दिया जाये।''**

14. गुरदीप सिंह के उपरोक्त बयानत से यह स्पष्ट है कि दिनांक 07.09.2020 की सुबह करीब 10.00 बजे कानि0 विनोद खाती व कानि0 जगदेव सिंह को गुरमीत सिंह के घर आना कहा गया और चीतल के मांस के बारे में पूछताछ करना कहा गया जबकि पुलिस टीम के अन्य सभी गवाहन 12.00–12.30 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा टेलीफोन पर कानि0 जगदेव सिंह को सूचना देना कहा गया है जिससे यह स्पष्ट है कि यदि कानि0 विनोद खाती, कानि0 जगदेव सिंह आदि गुरमीत सिंह के घर गये थे तो उनकी रवानगी हुई होगी, जबकि कथित सूचना 12.00–12.30 बजे कानि0 जगदेव को प्राप्त होना कहा गया है और उसके बाद ही पुलिस टीम गुरदीप के घर पर गयी होगी ऐसी स्थिति में गुरदीप सिंह का कानि0 विनोद खाती व कानि0 जगदेव सिंह

को दिनांक 07.09.2020 को समय 10.00 बजे अपने घर घुस आने का कथन पुरी तरह संदेह जनक एवं अविश्वसनीय है। साथ ही गुरदीप सिंह व उपरोक्त अन्य पांचो व्यक्तियों के विरूद्ध जांच अधिकारी द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत् अभियोग दर्ज करने संबंधी सक्षम अधिकारी को क्यों निर्देशित नहीं किया गया और यदि सोशल मीडिया पर ऐसी सूचना प्राप्त हुयी थी कि बीस हजार रू0 लेकर गुरदीप को छोड़ा गया तो उस दशा में ऐसी अफवाह व सूचना किसके द्वारा व कहां से फैलाई गयी के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की गयी तथा गुरदीप सिंह द्वारा अपने बयान में रंजित सिंह के भाई गुरमीत पुत्र प्यारा सिंह से नौ हजार रूपये मंगवाना व चौकी पर मौजुद कानि0 विनोद खाती और 2–3 अन्य सिपाहियाों के समक्ष जयदेव सिंह को देना कहा गया और बाकी ग्यारह हजार दो तीन दिन में देने की बात कही गयी, के संबंध में सर्वोत्तम व स्वतंत्र साक्षी रंजित सिंह पुत्र प्यारा सिंह था, जिन्हें जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्य में परिक्षित नहीं करवाया गया जिससे याचिकर्ता व अन्य पुलिस टीम के सदस्यों पर सोशल मीडिया में फैलायी गयी अफवाह का आरोप कि रूपये लेकर गुरदीप सिंह को छोड़ दिया कि सत्यता को जाने बिना ही जांच अधिकारी द्वारा याचीकर्ता को विधि विरूद्ध एवं द्वेषपूर्ण भाव से दोषसिद्ध किया गया। इतना ही नही प्रभारी निरीक्षक एन0बी0 भट्ट कोतवाली जसपुर द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि **''दिनांक 20 सितम्बर, 2020 को श्री मनोज ठाकूर, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी काशीपुर द्वारा व्हाट्सअप के माध्यम से एक मैसेज इस आशय का भेजा गया कि पतरामपुर क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि पुलिस चौकी प्रभारी दिवान सिंह विष्ट, कानि0 जगदेव अन्य कर्मचारी गुरदीप सिंह नाम के व्यक्ति को 7–8 दिन पहले चीतल के मांस के साथ पकड़कर लाये हैं। चीतल का मांस पकराकर खा गये तथा 20,000/– रूपये लेकर गुरदीप को छोड़ दिया है। अगले दिन क्षेत्राधिकारी काशीपुर उक्त प्रकरण की जांच हेतु स्वंय जसपुर आये तथा मुझे साथ लेकर पतरामपुर चौकी पहुंचे। चौकी पर तथाकथित गुरदीप सिंह को बुलवाया गया तो उससे चौकी पर मेरे समक्ष क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि '' मेरे घर में चीतल का मांस पकड़ा गया था और मुझे चौकी पतरामपुर के सिपाही जगदेव कानि0 दिवान सिंह , कानि0 विनोद खाती व एक एसपीओ0 पकड़कर चौकी लाये थे और मुझे छोड़ने के एवज में 20 हजार रूपये तय हुए थे और मैंने 10 हजार रूपये तुरन्त दे दिये थे''। क्षेत्राधिकारी महोदय के समक्ष गुरदीप सिंह द्वारा स्वंय को छोड़ने के एवज में 20 हजार रूपये तय होना तथा तथा 10 हजार रूपये तत्काल तथा 10 हजार रूपये बाद में दिये जाने की बात पर मेरे द्वारा उक्त तीनों सिपाहियों के विरूद्ध उक्त प्रकरण में रूपये लिये जाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर क्षेत्राधिकारी महोदय के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित की गयी यही मेरा बयान है।''**

15. उक्त गवाह के उपरोक्त बयानात से यह स्पष्ट है कि यह गवाह चौकी पर तथाकथित गुरदीप सिंह को बुलाया जाना व उसे चौकी पर अपने समक्ष क्षेत्राधिकारी द्वारा पूछताक्ष किया

जाना कहा गया है तथा गुरदीप सिंह द्वारा कानि0 दीवान सिंह कानि0 विनोद खाती व अन्य एसपीओ द्वारा अपने को पकड़ कर चौकी लाने व छोड़ने के एवज में बीस हजार तय होना और दस हजार तुरन्त देने का कथन किया गया जबकि गुरदीप द्वारा अपने बयानात में नौ हजार रूपये देने एवं कथित नौ हजार रूपये रंजीत सिंह के भाई गुरमीत सिंह पुत्र प्यारा से मंगवाना व कानि0 जयदेव सिंह को देना कहा गया है जिससे कथित धनराशि दिये जाने के संबंध में गवाहन गुरदीप सिंह व प्रभारी निरीक्षक एन0बी0भट्ट के बयानात में घोर विरोधाभाष है जिससे याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इन तर्कों को बल मिलता है कि याचीकर्ता को गुरदीप सिंह द्वारा उसके व उसके पुत्र के विरूद्ध चोरी आदि के मुकदमों की रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया और इसलिए गुरदीप सिंह द्वारा याची व कानि0 जगदेव सिंह को दिनांक 07.09.2020 को 10.00 बजे अपने घर के अन्दर घुस आना कहता है तथा 9000=00 रूपये रंजीत के भाई गुरमीत पुत्र प्यारा सिंह से मंगवाना व देना कहा गया है। जबकि पुलिस क्षेत्राधिकारी के समक्ष हुए बयानात में 10,000/– रूपये देना कहता है। इस संबंध में जांच अधिकारी द्वारा नकल जी0डी0 आदि का अवलोकन करना भी वास्तविक सत्यता पर पहुंचने हेतु आवश्यक नहीं समझा गया जिससे जांच अधिकारी द्वारा की गयी जांच पुरी तरह साक्ष्य के विपरीत व द्वेषपूर्ण है तथा याचीकर्ता को विधि विरूद्ध दोषसिद्ध किया गया है। साथ ही एक अन्य एसपीओ हनीफ जिन्हें गुरमीत के घर पर जाना कहा गया है उन्हें साक्ष्य में परिक्षित नही किया गया है तथा कानि0 मनमोहन सिंह जो उक्त कथित घटना के समय चौकी पतरामपुर में लेखक का कार्य सम्पादन कर रहा था के द्वारा ऐसे किसी गुरदीप सिंह नाम के व्यक्ति को याचीकर्ता व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा थाने पर लाने आदि की जानकारी से इन्कार किया है।

16. अतः उपरोक्त बयानात के आधार पर यह स्पष्ट है कि पुलिस टीम के सभी गवाहन व प्रभारी निरीक्षक एवं कानि0 क्लर्क मनमोहन सिंह चौकी पतरामपुर के उपरोक्त बयानात से यह स्पष्ट है कि गुरदीप सिंह को चौकी पतरामपुर पर दिनांक 07.09.2020 को नहीं लाया गया और न ही कोई रिश्वत आदि के रूप में नौ हजार रूपये या दस हजार रूपये दिये और केवल गुरदीप सिंह के उपरोक्त बयानात के आधर पर याचीकर्ता को दोष सिद्ध करना अपने आप में पूरी तरह विधि विरूद्ध है और यदि गुरदीप सिंह के बयान पर विश्वास किया गया था तो उस दशा में गुरदीप सिंह व पांच अन्य लोगों के विरूद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं गुरदीप सिंह के विरूद्ध रिश्वत देने के बावत अभियोग पंजीकृत किया जाना चाहिए था तथा सोशल मीडिया पर किसके द्वारा व कहां से कथित मैसेज प्रसारित हुआ, के संबंध में भी कोई जांच नहीं की गयी, जिससे यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता सं0 3 द्वारा जांच अधिकारी के उपरोक्त द्वेषपूर्ण जांच के आधार पर याचीकर्ता को, याचिकर्ता द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर के कथन पर विचार किये बिना दिनांक 22.10.2021 को विधि विरूद्ध दण्डादेश पारित किया गया है और ओर जिसके विरूद्ध याचीकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करने पर अपील प्राधिकारी द्वारा भी विवेक

का इस्तेमाल किये बिना ही दिनांक 14.12.2022 को आदेश पारित किया गया। अतः उत्तरदाता 3–2 द्वारा पारित उपरोक्त दण्डादेश विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त होने योग्य है।

आदेश

याचीकर्ता कान्स0 490 ना0पु0 विनोद खाती की याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता सं0 3 द्वारा याचीकर्ता के विरूद्ध पारित परिनिन्दा प्रविष्टि आदेश दिनांकित 22.10.2021 एवं याचीकर्ता द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध दायर अपील में विपक्षी सं0 2 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 14.12.2022 अपास्त किये जाते हैं। विपक्षी सं0 3 व 2 को आदेशित किया जाता है कि याचीकर्ता की चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों में दर्ज परिनिन्दा प्रविष्टि को अन्दर तीस (30) दिन में विलुप्त करें। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगें।

दिनांकः अक्टूबर 03, 2023 (राजेन्द्र सिंह)
देहरादून। उपाध्यक्ष (न्यायिक)

R